

प्रपत्र नंबर 6
उत्तर प्रदेश सरकार वैध पंजीकरण के अधीन
के तहत वैध नवीनीकरण सोसाइटी पंजीकरण
अधिनियम 1860



नोट : पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के
लिए आवेदन अधिनियम की धारा 52 की
उपधारा (5) के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 4
पर किया जाना चाहिए।



पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 1465/RN/OL/2023-24

दिनांक : 22-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि **CHE'TNA** (संस्था का नाम) **CHE'TNA SANSTHAN SECTOR C**
ALIGANJ LUCKNOW (संस्था का पता) का प्रमाण-पत्र संख्या **4862** दिनांक **07-09-2018** द्वारा दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग में रजिस्ट्रीकृत थी। रजिस्ट्रीकरण दिनांक **06-09-2023** को समाप्त होने वाला है / हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण अग्रतर पाँच वर्ष की अवधि
के लिए किया जा रहा है और वह दिनांक **05-09-2028** तक विधिमान्य रहेगा।

यह नवीनीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक **22-12-2023** को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by

.....

